सार-समाचार

चूरू में छाया घना कोहरा, आमजन की दिनचर्या प्रभावित

चूरू (निसं)। जिला मुख्यालय पर गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। कोहरे के साथ चली सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया। घने कोहरे के चलते सड़कों पर सुबह के समय वाहनों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलाना पड़ा। कोहरे के कारण घरों में लोगों की दिनचर्या भी काफी प्रभावित हुई। सुबह जल्दी उठने वाले लोग देर तक नहीं उठे। सर्दी से राहत पाने के लिए गर्म कपड़ों में बैठे रहे। सुबह के समय चली बर्फीली हवाएं नस्तर की तरह चुभती रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार गुरूवार को न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री और अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री दर्ज किया गया। हवाओं के साथ अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी की सप्लाई भी हो रही है। इसके प्रभाव से आज पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में सर्वाधिक असर होने की प्रबल संभावना है। 29-30 जनवरी को कहीं-कहीं घना कोहरा भी सुबह के समय दर्ज होने की संभावना है। शर्मा ने बताया कि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी व 1 फरवरी को पुनः राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह के समय छाए रहने वाला घना कोहरा चने की फसल के लिए काफी लाभदायक साबित होगा।

श्री श्याम कृपा महोत्सव एक फरवरी को

चूरू (निसं)। श्री श्याम एकादशी भक्त मंडल चूरू की ओर से श्रीराम मंदिर में एक व दो फरवरी को भव्य श्री श्याम कृपा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। समिति के विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि दो दिवसीय श्री श्याम कृपा महोत्सव के तहत मन की बातां सांवरिया से कार्यक्रम का आगाज रविवार एक फरवरी 2026 को भव्य रथ यात्रा से होगा। रथ यात्रा एक फरवरी को प्रातः 11.15 बजे से सुभाष चौक स्थित सत्यनारायण मंदिर से रवाना होकर श्रीराम मन्दिर जायेगी। इस रथ यात्रा में रथ पर विराजमान बाबा श्याम, फाल्गुन के चंग, निशान यात्रा, इत्र व पुष्प वर्षा आकर्षण का केन्द्र होगी। इसीक्रम में सोमवार 02 फरवरी को सांय 6.15 बजे से बाबा श्याम का विशाल कीर्तन किया जायेगा। इस दौरान छप्पन भोग, पुष्प व इत्र वर्षा, फुलों की होली, बाबा श्याम का खजाना आदि आकर्षण का केन्द्र होंगे। कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को अगुणा मोहल्ला स्थित श्याम मंदिर में पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में सूरतगढ़ की वैष्णवी जन्वेजा, कोलकाता के रवि बेरीवाल और जयपुर के आयुष सोमानी अपनी मधुर वाणी से आकर्षक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां देंगे। इस अवसर पर बाबा का भव्य अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा की अखंड ज्योत से होगा। इस अवसर पर बुद्धि प्रकाश शर्मा, संजय पारीक, रमेश सैनी सहित बडी संख्या में समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव शुरू

खिरोड़, (निसं)। चिराना में श्रीश्याम अखंड ज्योत सेवा समिति के सौजन्य से दो दिवसीय षष्ठम श्रीश्याम संकीर्तन महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार को निशान यात्रा के साथ हुआ। बाबा श्याम के संकीर्तन महोत्सव के पहले दिन सीकर रोड स्थित श्री गणेश मंदिर में पंडित रवि कुमार शास्त्री के मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत निशान पूजन कर यात्रा शुरू हुई। सैंकड़ों महिलाएं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा हाथों में बाबा श्याम का निशान लेकर डीजे पर भक्तिमय संगीत के साथ गांव के बस स्टैंड, लाल गट्टा, बाजार होते हुए श्याम मंदिर तक यात्रा निकाल कर निशान अर्पित किए। ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा से निशान यात्रा का स्वागत किया गया। शुक्रवार को रात्रि में बाबा श्याम का दरबार सजाया जाएगा एवं रात्रि में संकीर्तन होगा। जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजनों कि प्रस्तुतियां दी जाएगी। इसके साथ ही इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, महाआरती, ज्योत दर्शन, छप्पन भोग सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इस दौरान प्रशासक राजेंद्रसिंह शेखावत, समाजसेवी बाबूलाल सैनी, पवन शर्मा, भवानीसिंह शेखावत, गोवर्धन पाराशर, जितेंद्र सैन, राजेश जांगिड़, प्रवीण सैनी, बंटी जांगिड, संदीप जांगिड, सोनू, मंगल शर्मा सहित सैंकड़ों पुरुष एवं महिला श्रद्धालु मौजूद रहे।

लोकसभा में राजस्थान के टोल प्लाजाओं की मनमानी पर गरजे सांसद ओला

झुंझुनूं, (निसं)। लोकसभा में राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजाओं की अनियमितता और खराब सड़क व्यवस्था का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। झुंझुनूं से सांसद बृजेंद्रसिंह ओला ने फतेहपुर-सीकर-जयपुर मार्ग सहित प्रदेशभर में हो रही टोल वसूली पर सवाल खड़े किए। ओला ने सदन को बताया कि राजस्थान में 8 हजार 731 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों पर 174 टोल प्लाजा संचालित हैं। जहां औसतन 50 किमी के भीतर ही टोल वसूला जा रहा है। जबकि नियमों के अनुसार टोल प्लाजाओं के बीच 60 किमी की दूरी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में करीब 30 हजार करोड़ रुपए टोल के रूप में वसूले गए। लेकिन इसके बावजूद न सड़कों की हालत सुधरी, न सर्विस रोड बने और न ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। आमजन को रोजाना लंबे जाम और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सांसद ओला ने एनएच-52 (फतेहपुर-सीकर-जयपुर) और एनएच-48 (दिल्ली-जयपुर-अजमेर) का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मार्गों पर सड़कें अधूरी हैं, कई स्थानों पर ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, फिर भी पूरा टोल लिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जहां सड़कें खराब हैं, सर्विस रोड नहीं है, लगातार जाम और दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहां के टोल प्लाज़ाओं को हटाकर आम नागरिकों, किसानों और व्यापारियों को तत्काल राहत दी जाए।

हिंदू समाज को संगठित रहने का आव्हान

झुंझुनूं, (निसं)। संपूर्ण भारत में हो रहे हिंदू सम्मेलनों की शृंखला में मालसर मंडल का हिंदू सम्मेलन सांवत राम बाबा मंदिर बिशनपुरा में हुआ। जिसमें मुख्य वक्ता मानसिंग ने समस्त हिंदू समाज को जाती वाद व छुआ छूत से ऊपर उठकर हिंदू समाज को संगठित रहने का, पर्यावरण संरक्षण और पालीथीन मुक्त भारत एवं स्व का बोध, स्वदेशी अपनाने, नागरिक शिष्टाचार व सभी युवाओं से 25 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह करने का आ ान किया। सम्मेलन में भारत की महान परम्पराओं महापुरुषों द्वारा समाज को एक रस करने में हुए योगदान की बात कही। सांवरमल जांगिड़ ने बताया कि सम्मलेन का मुख्य आकर्षण दो जगहों से निकली कलश यात्रा रही। सम्मेलन में हवलदार उगमसिंह, श्यामसुंदर जांगिड, कृष्ण पुजारी, केशरदेव, ओमप्रकाश योगी, ओमप्रकाश महला, मंगतूसिंह, श्रीनिवास कुलहरि, महेंद्र कुलहरि, मोहरसिंह, किशोर चारणवास आदि मंचासीन रहे व संत सानिध्य बूटीनाथ धाम महंत लखनगिरी का रहा। सम्मेलन में मालसर, पातुसरी, देवीपुरा, दोरादास, मिश्रपूरा,बिंजूसर, बिशनपुरा, हमीरवास गांव के हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

कस्वां राजस्थान राजस्व लेखा सेवा के जिलाध्यक्ष बने

चूरू (निसं)। स्थानीय सद्भावना मंडप में राजस्थान राजस्व लेखा सेवा का जिला स्तरीय सम्मेलन बुधवार को सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड फर्स्ट मूलाराम डारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस दौरान राजस्व लेखा सेवा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर रतनगढ़ तहसील राजस्व लेखाधिकारी विजय लक्ष्मी सोनी ने राजलदेसर लेखाधिकारी शीशराम कस्वां का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी लेखाधिकारियों ने समर्थन कर शिशराम कस्वां को निर्विरोध चूरू राजस्व लेखा सेवा का जिलाध्यक्ष चुना। इस अवसर पर नव नियुक्त जिलाध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर कल्याण सिंह, लक्ष्मणराम, सुरेंद्र कुमार, अजय शर्मा, हिम्मत सिंह, भवानी सिंह, मुरारी सहित अनेक लेखाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

छात्राओं ने दवा फैक्ट्री का भ्रमण किया

झुंझुनूं, (निसं)। रामादेवी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने बालिका दिवस पर चुडैला स्थित आरबर आयुर्वेद दवा निर्माण फैक्ट्री का भ्रमण किया। फैक्ट्री चेयरपर्सन अंबिका ने छात्राओं को फैक्ट्री में स्थित मशीनों को चलवा कर दिखाया और जडी बूंटियों को तैयार करने, दवाइयों पर लेबल लगाने, दवाइयों की उपयोगिता आदि के बारे में बताया। भ्रमण से सभी छात्राएं लाभान्वित हुई एनएसएस प्रभारी डॉ. नीतूसिंह और डॉ. नरेश नैण के संरक्षण में छात्राओं ने भ्रमण किया।

स्पंदन में छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, विजेताओं को सम्मानित किया

■ प्रतियोगिता में कोमल फगेडिया ने प्रथम, विनिता जांगिड़ ने द्वितीय व पूजा जांगिड़ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया

चूरू (निसं)। स्वामी गोपाल दास राजकीय कन्या महाविद्यालय में रंगारंग स्पंदन 2026 वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीईओ श्वेता कोचर थी। वहीं विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय विकास समिति सदस्य नवरंग वर्मा, नरेन्द्र कंवल, लालचंद चाहर, निवर्तमान उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल व प्रो. के.सी. सोनी थे।

कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान एकल गायन, एकल नृत्य, सामूहिक व युगल नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में संगीता रोहीला, राजकुमार सोनी, ध्रुव पूनिया व अजय कुमार ने निर्णायक की भूमिका निभाई।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्य अतिथि श्वेता कोचर ने कहा कि जीवन में सकारात्मकता के साथ अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करें। कार्यक्रम में प्राचार्य चंपालाल वर्मा, वरिष्ठ संकाय सदस्य सतीश सैन, अनुज कुमार, अनिल कुमार, सहायक लेखाधिकारी विनय कस्वां व प्रशासनिक अधिकारी सुजान सिंह राठौड ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं और मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

सांस्कृतिक समिति संयोजक सुनीता चौधरी ने बताया कि स्पंदन 2026 में हुई एकल नृत्य प्रतियोगिता में कोमल फगेडिया ने प्रथम, विनिता जांगिड ने द्वितीय व पूजा जांगिड़ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। युगल नृत्य प्रतियोगिता में वशुंधरा व उर्मिला ने प्रथम, कल्पना सैनी व पूनम गोस्वामी ने द्वितीय, कोमल फगेड़िया व मनीषा महला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में गैलेक्सी ग्रुप ने प्रथम, राजस्थानी रिदम ग्रुप ने द्वितीय, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

वहीं गायन प्रतियोगिता में नीतू ने प्रथम, ज्योति सैनी ने द्वितीय व मेघा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया। कार्यक्रम में मीनल चौधरी, कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार, ओमप्रकाश सहारण ने सहयोगी भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन धीरसिह धाभाई ने किया।

जिले के 100 शिक्षण संस्थानों में वॉल माउंटेड मिनी लाइब्रेरी

हनुमानगढ़, (निसं.)। जिले के शैक्षिणक संस्थानों में विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम से इतर ज्ञान-वर्धन और पढ़ने की आदत को मजबूत करने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल साकार हुई है। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव के मार्गदर्शन और सतत प्रयासों से मुंबई स्थित रत्नानिधि चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जिले की 100 शैक्षिणक संस्थाओं में सपनों की उड़ान-वॉल माउंटेड मिनी लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। यह पहल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

गौरतलब है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए 9 दिसंबर, 2025 को रत्नानिधि चेरिटेबल ट्रस्ट और हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू के अनुरूप जिले के सरकारी शैक्षिणक संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से मिनी लाइब्रेरी स्थापित की गई। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कड़ेला ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा जिले के 86 विद्यालयों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 14 छात्रावासों में वॉल माउंटेड मिनी लाइब्रेरी लगाई गई है। उपखंडवार वितरण के अनुसार भादरा में 14, नोहर में 38, हनुमानगढ़ में 2, रावतसर में 28, पीलीबंगा में 3 तथा संगरिया में 1 विद्यालय में इन लाइब्रेरीज की स्थापना की गई है।

उन्होंने बताया कि जिले के हनुमानगढ़, टिब्बी, पीलीबंगा और संगरिया के कई विद्यालयों में टाटा ट्रस्ट की ओर से पहले से ही इसी पैटर्न पर लाइब्रेरी संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को छोड़कर अन्य 86 विद्यालयों में यह नई वॉल माउंटेड मिनी लाइब्रेरी सुविधा विकसित की गई है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राजीव मेहता ने बताया कि इस मिशन के तहत प्रत्येक विद्यालय में जूट के हैंगिंग बैग के साथ 50 चयनित पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, जिन्हें बच्चों की आसान पहुंच में स्थापित किया गया है। ये पुस्तकें वैज्ञानिकों, साहित्यकारों, आर्थिक रणनीतिकारों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा विशेष योगदान देने वाले महापुरुषों के जीवन और स्टोरी टेलिंग पर आधारित सामान्य अंग्रेजी संस्करण में हैं।

उन्होंने कहा कि इन पुस्तकों से विद्यार्थियों की वोकैबलरी, सामान्य ज्ञान और पठन क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही, देश के गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों की जीवनियों से बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। यह पहल न केवल शिक्षा को रोचक बनाएगी, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करेंगे।

डॉ. मनजीत ढाका ने उपजिला अस्पताल में जॉइन किया

नोहर, (निसं.)। राजकीय उप जिला चिकित्सालय नोहर में प्रतापगढ़ से नोहर स्थानांतरित होकर आए डॉक्टर मंजीत ढाका ने कार्यग्रहण किया। इस दौरान भूमि विकास बैंक हनुमानगढ़ के चेयरमैन एडवोकेट राजेंद्र सिहाग, उप जिला चिकित्सालय नोहर के कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रमोद शर्मा, डॉ. वेद प्रकाश बांदर, डॉ रोहित शेखू, भैराराम बेनीवाल सहित चिकित्सालय स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। डॉक्टर मंजीत ढाका ने पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कि वे मरीजों की सेवा हमेशा तत्पर रहेंगे।

लोक कल्याणकारी शिविर आयोजित

झुंझुनूं, (निसं)। सूचना केंद्र झुंझुनूं में गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं व प्रशासनिक विभागों के संयुक्त तत्वावधान में एक लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में मंचस्थ अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनूं थे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी रही। जिनमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष रूप से बालिकाओं द्वारा केक काटकर की गई। जिससे कार्यक्रम का वातावरण उत्साहपूर्ण एवं प्रेरणादायक बन गया। शिविर का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना एवं विधिक जागरूकता बढ़ाना रहा।

सभी विभागों द्वारा आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से लगभग 200 लाभार्थियों को राज्य सरकार की विविध योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

इस अवसर पर पात्र हितग्राहियों को चार स्कूटी वितरित की तथा साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत स्वीकृतियां तथा अन्य विभागों की ओर से आमजन को लाभ प्रदान किए गए। सचिव ने बताया कि कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित नहीं रह जाए, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती है।

बालिका विद्यालय में कौशल विकास किट वितरित

राजलदेसर (निसं)। राजलदेसर में पीएम श्री श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका विद्यालय के प्रांगण में प्रधानाचार्य मोहन लाल अर्जुन की अध्यक्षता में कौशल विकास किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला प्रवक्ता पवन बोथरा व भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत विशिष्ट अतिथि एसडीएमसी अध्यक्ष श्यामसुंदर जाट, पुर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन कुमार मारू व शिव भगवान सोनी आदि मंचासिन अतिथि थे। कार्यक्रम में विद्यालय की 33 बालिकाओं को कौशल किट अतिथियों के कर कमलों से वितरित किए गए।

कार्यक्रम को प्रधानाचार्य मोहन लाल अर्जुन, जिला प्रवक्ता पवन बोथरा व मंडल अध्यक्ष विष्णु प्रजापत ने संबोधित करते हुए कौशल पर भारत-सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की तथा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा प्रभारी रमेश खीचड, व्यवसायिक प्रशिक्षण टीचर पिंकी मंडल, वाइस प्रिंसिपल इंद्र सिंह फगेडिया, विमला चौधरी, महेश कुमार सांखोलिया, मनोज कुमार सारस्वत, रश्मि महर्षि, सरीता शर्मा, लोयता झाझडिया, रामकिशोर, ओए प्रमोद कुमार, वरिष्ठ अध्यापक शिशपाल, आंनद सिंह, अध्यापक धर्मपाल बुगालिया, कन्हैयालाल जांगिड, मीनू कुमारी वर्मा, योगेश्वरी शर्मा, ऋषिका सहारण, दिलीप सिंह कुडी आदि उपस्थित थे।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय माननीय पारिवारिक न्यायाधीश एवं अपर जिला जज महोदय लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज.
पंकज कंवर विरूद्ध कुलदीपसिंह
वाद/प्रार्थना पत्र 13(1)(1) (क) (ख)
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
प्रार्थना-पत्र संख्या-33/2023

नाम कुलदीप सिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम किनसरिया थाना परबतसर जिला डीडवाना कुचामन राज.
उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि-
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 4 माह 3 सन् 2026 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 22 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत
आज्ञा से-सीनियर रीडर
अपर जिला न्यायाधीश
लक्ष्मणगढ जिला सीकर

ज्ञापन सौंपा

बिसाऊ (निसं)। सर्व ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा विनियम 2026 के संबंध में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राहुल मिश्रा के निर्देश पर जिला महामंत्री गौरव माटोलिया की अगुवाई में नगर अध्यक्ष गोकुल शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। जिला महामंत्री गौरव माटोलिया ने विनियम 2026 को काला कानून बताते हुए कहा कि यह कानून शैक्षिक परिसर में छात्रों के मध्य वैमनस्य को बढ़ावा दे सकता है जिसके परिणाम उचित नहीं होंगे। कानून को रद्द करने तथा उसमें संशोधन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)-यू40109आरजे2000एसजीसी 016483
पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस,जोधपुर-342003, फोन न. : 01562-2250058 फैक्स न. : 01562-250372
ईमेल :- seomcur@gmail.com, वेबसाईट :- www.jdvvnl.com

ई-प्रोक्योरमेन्ट निविदा सूचना

टेण्डर सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित राशि का विवरण	निविदा प्रस्तुतीकरण आरंम्भ तिथि	निविदा प्रस्तुतीकरण अन्तिम तिथि
टीएन 07 / 2025-26	चूरू वृत के भानीपुरा उपखण्ड के अन्तर्गत नये 33 / 11 केवी सब स्टेशन भाटवाला का निर्माण 33 केवी लाईन, एवं 11 केवी लाईन कार्य एलआरसी दर 2025 पर संपादन हेतु प्रस्तावित UBN No. JVV2526WSOB00850	692137.00	22.01.2026 सांय 3.00 बजे से	30.01.2026 दोपहर 12:00 बजे तक

राज.संवाद/सी/25/18707
अधीक्षण अभियंता (पवस), जो.वि.वि.नि.लि., चूरू
बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/219
चूंकि प्रार्थी श्री जितेन्द्र कुमार रणवा, वार्ड नं. 40 जाट कॉलोनी, नवलगढ रोड, सीकर राजस्थान-332001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शेखावाटी इंटरनेशनल एकेडमी समिति, शेखावाटी इंटरनेशनल एकेडमी समिति, सीकर रोड, लोसल (सीकर) राजस्थान-332025 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/232
चूंकि प्रार्थी श्री OM PRAKASH RANWA CHOUDHARY CHARAN SINGH NAGAR, NAWALGARH ROAD, BHARTTYA SCHOOL WARD NO. 41, SIKAR, RAJ. 332001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास बी.पी.एस. शिक्षण संस्थान NAVALOGARH ROAD, SIKAR, RAJ. 332001 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/237
चूंकि प्रार्थी श्री महेश कुमार होलानी आदित्य सदन, एस.के. कॉलेज के सामने, सैनी मंदिर पास, मोहल्ला शेखपुरा, सीकर 302001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत कस्तूरबा सेवा संस्थान, मदरसो रोड, नवलगढ रोड, सीकर, राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/227
चूंकि प्रार्थी श्री MOHAMMED IDRIS, MOHALLA NARWAN, IKRAM SHA KI GALI, WARD NO. 15 SIKAR RAJ 332001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास भारत ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट MOHALLA HUSSAINGANJ WARD NO. 13 SIKAR RAJ. 332001 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/229
चूंकि प्रार्थी श्री HEMA RAM SWAMI KI DHANI SHIVBHAJANPURA SULYAWAS SIKAR, RAJ. 332702 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास स्वामी नित्यानन्द बाल विकास समिति JEEN MATA ROAD, DANTA, SIKAR RAJ. 332702 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 06/2026/99 दिनांक-16.01.2026
चूंकि प्रदीप पुनिया पुत्र श्री नौरंगसिंह बी-167 सेक्टर 1 सैनिक बस्ती चूरू ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास के मानव प्रगति संस्थान ग्राम बास भरीण्ड डाक खाना वेवड राजगढ जिला चूरू सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई आपत्तियों प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निष्कर्ष किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 15.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16.03.2026 निश्चित है।
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, बीकानेर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/233
चूंकि प्रार्थी श्री SURENDRA KUMAR SP I RIICO AREA NEEM KA THANA SIKAR RAJ. 332713 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान OPP. GAUSHALA KHETDI ROAD NEEM KA THANA SIKAR, RAJ. 332713 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/228
चूंकि प्रार्थी श्री OM PRAKASH SWAMI, WARD NO. 17, NEAR RAGHUNATH JI KA MANDIR, RAMGARH DANTARMGARH SIKAR, RAJ. 332703 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री रघुनाथ शिक्षा समिति WARD NO. 17 NEAR RAGHUNATH JI KA MANDIR RAMGARH DANTARAMGARH SIKAR, RAJ-332703 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 17/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री बीरम प्रकाश सुल्तानिया पुत्र श्री निवास सुल्तानिया निवासी मकान नं. 1001/1, ई.एम. बाईपास, साइंस सिटी के पास, कोलकाता ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री बिहारीजी सेवा सदन पुरानी तहसील रोड, चिड़ावा, झुंझुनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/224
चूंकि प्रार्थी श्री DIPESH KUMAR WARD NO 20 NEAR JANTASWEET HOME HANUMANGARHRAJ 335512 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री श्याम परिवार काठमांडू चेरिटेबल ट्रस्ट VILLAGE KHATU SHYAMJI TEHSIL DATARAMGARH DISTRICT SIKAR RAJ 332602 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/234
चूंकि प्रार्थी श्री SHISH RAM RANWA, BHARTIYA SCHOOL CHOUDHARY CHARAN SINGH NAGAR, NAWALGARH ROAD, SIKAR, RAJ. 332001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास भारतीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समिति NAWALGARH ROAD, SIKAR, RAJ.332001 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 23/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री गोविन्द राम सोनी पुत्र श्री तुलसी दास सोनी निवासी गणेश मंदिर के पास लोहारू रोड पिलानी जिला झुंझुनू ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत गायत्री परिवार ट्रस्ट पिलानी 234/2 दक्षिण मार्ग विद्या विहार पिलानी झुंझुनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/223
चूंकि प्रार्थी श्री JAGDISH KUMAR SAWARTHIA K 76 DIAMOND DISTRICT OLD AIR PORT ROAD KODHALLI BANGALORE KARANTAKA-560008 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास बालकराम सूरजमल चेरिटेबल ट्रस्ट KHASRA NO. 1745/2 VILAGE KHATUSHYAMUL TEHSIL DATARAMGARH SIKAR 332602 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/226
चूंकि प्रार्थी श्री MOOLCHAND RANWA, TATANWA BHUWALA DISTRICT SIKAR RAJ. 332042 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास भारतीय बालिका शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान CHANDPURA SIKAR RAJ.332021 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा पूदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 31.03.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय